आदेश 27-7-22 को देख हो

27/7/22 पत्रावली पेश हुयी। कोई उप० नहीं। वाद का मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अत: पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।